चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 01.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 विजय कुमार मय हमराह आरक्षी अनिकेत कुमार द्वारा मु0नं0 2530/2010 धारा 138 एनआई एक्ट के वारंटी अभियुक्त योगेन्द्र कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी ताम्रबनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). आज दिनांक 04.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में श्रीमती रीता सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम, आरक्षी रामविलास यादव, आरक्षी शिवम द्विवेदी द्वारा राजकीय पालिटेक्निक कालेज मानिकपुर चित्रकूट में साइबर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सभी छात्र/छात्राओं एवं अध्यापकों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी –
* किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीपी नम्बर न बताये।
* एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें।
* डिजिटल अरेस्ट के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।
* अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन, ई-मेल, एस0एम0एस0, फेसबुक, व्हाट्सएप पर कभी भी न दें।
* बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, दीपावली ऑफर, कैशबैक, के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें।
* किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर, ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें।
* टेलीग्राम के माध्यम से विभिन्न ग्रुप में ट्रेडिंग के लिये लिंक के माध्यम से भेजे गये ऐप को डाउनलोड कर गेमिंग के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कर लाभ कमाने जैसे फ्राड के बारे में जागरुक किया गया।
* कम समय में पैसा डबल करने, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें।
* फेसबुक, इस्टाग्राम, ब्लॉग, टूविटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नम्बर, जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें।
* पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार, किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें।
* साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

दिनांक 28.01.2026 को समय 10.57 बजे चौकीदार कैलाश पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र द्वारा सूचना दी कि दिनांक 28.01.2026 को 07.00 बजे ग्राम वीरू राम का पुरवा मजरा भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट जा रहे थे कि सड़क किनारे एक अज्ञात शव महिला उम्र करीब 20 वर्ष का पड़ा हुआ है।

हुलिया

रंग – गेहुआँ , आख- सामान्य

चेहरा – गोल

लम्बाई – 05 फीट 01 इंच

उम्र – 20 वर्ष करीब

पहनावा – शर्ट नीली चेकदार फुल बाजू

पहचान – निल
पहचान होने निम्नलिखित नम्बरों पर सम्पर्क करें-
क्षेत्राधिकारी राजापुर – 9454401358, 9305101114
प्रभारी निरीक्षक रैपुरा – 9454403210, 9305101107

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजक अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 04.03.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2016 धारा 354,323 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त टिंकू खान रहासिम पुत्र शेखकासिम निवासी महावीर नगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कारावास व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।